विज्ञापन

--0--

कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा...............

विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों मेंरिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वान की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालयों की जनभगीदारी समितियों के सचिव की ओरसे आवेदन आमंत्रित किए जाते है ।

(1) आवेदन किसे प्रस्तुत करना है –

विधिवत भरे हुए एंव पूर्ण आवेदन पत्र 20.6.2009 तक सीधे संबंधित शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य को समस्त प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियों सहित प्राप्त हो जाना चाहिए । महाविद्यालयवार,विषयवार अतिथि विद्वान की आवश्यकता की जानकारी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य से अथवा उस महाविद्यालय के नोटिस–बोर्ड पर अथवा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय पर देखी जा सकती है ।

(2)– मानदेय–

45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये 120/–(रूपये एक सौ बीस केवल) या शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रति व्याख्यान मानदेय देय होगा । अतिथि विद्वान के अन्तर्गत एक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पररियड ले सकेंगे ।

अतिथि विद्वान व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रन्थपाल एंव क्रीडा अधिकारी को रूपये 300/– (रूपये तीन सौ) प्रति कार्य दिवस के आधार पर भुगतान किया जाएगा ।

(3)– चयन हेतु मापदण्डः–

(अ) चयन प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी । पैनल बनाने का कार्य यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा ।चयन हेतु वरीयता क्रम निम्नानुसार रहेगाः–

श्रेणी–1 संबंधित विषय में नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण या पी.एच.डी धारक

श्रेणी–2 संबंधित विषय में एम0फिल0

श्रेणी–3 यू0जी0सी0 मापदण्डों के अनुरूप न्यूनतम अर्हता रखने वाले अभ्यार्थियों के सर्वोच्चांक प्राप्त उम्मीदवार ।

(स्पष्टीकरण–मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 14 अगस्त 03) के अनुसार सहायक प्राध्यापक हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैः–

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर विहित शैक्षणिक अर्हता,स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए अंको का प्रतिशत 50 प्रतिशत होगा ।

(ख) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एन.ई.टी. या मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा एस एल ई टी या पी.एच.डी उपाधि धारक ।

श्रेणी–1 के व्यक्तियों के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा । इस श्रेणी का कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो श्रेणी–2 एंव श्रेणी–2 के व्यक्ति उपलब्ध न होने पर ही श्रेणी–3 के व्यक्तियों के नामों पर विचार किया जाएगा ।

क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपाल के लिये निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हताएं निर्धारित की गई है ।

क्रीड़ा अधिकारी –

व्यायाम शिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ उपाधि और व्यायाम शिक्षा में स्नातक स्तर पर कुल प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत से कम न हो ।

ग्रंथपाल–

पुस्तकालय विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 50 से कम न हो ।

अनुभव हेतु पृथक से अधिमान्यता दी जायेगी । अतिथि विद्वानों द्वारा प्रस्तुत पिछले वर्षो के आमंत्रण पत्रों एवं प्राचार्य द्वारा प्रदत्त भुगतान पत्रकों के आधार पर वास्तविक शिक्षण हेतु अनुभव के लिये अंक दिये जावेंगे । यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों ने कार्य किया होगा उसी अनुभव को अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कुल प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार दिया जाएगा ।

आवेदन एक ही संभाग के अन्तर्गत एक से अधिक महाविद्यालयों हेतु आवेदन कर सकते हैं आवेदन की अन्तिम तिथि 20.6.2009 के पूर्व प्राप्त हों, यह आवेदक का दायित्व होगा । किसी भी प्रकार के विवाद के बारे में आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक